

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
उपखण्ड नावा जिला डी.डी.नावा - 311117  
विषय:- राजस्व रेकॉर्ड दुरस्ती बाबत अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 ।  
द्वारा:- पटवारी पटवार हल्का नावा महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व रेकॉर्ड में अशुद्ध हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है -

भूमि का विवरण	जमाबंदी में प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि को अन्डरलाईन करे)	की जाने वाली शुद्ध प्रविष्टि का विवरण
1	2	3
पटवार हल्का <u>नावा</u> राजस्व ग्राम <u>रोडपुर</u> खाता संख्या <u>68</u> खसरा संख्या <u>149-153</u> रकबा हेक्टेयर में <u>29</u> <u>43.04</u>	<u>राजपुर हावरमाम</u> <u>पति रवटीउ</u>	<u>राजेश चावला</u> <u>पुत्र हावरमाम</u> <u>पति रवटीउ</u>

संलग्न दस्तावेज (संलग्न दस्तावेज पर टिक का निशान लगाए) -

1. अशुद्धि होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी/नक्शा
2. अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी/नक्शा
3. प्रभावित नामान्तरण की सत्यप्रति
4. हिस्से संबंधी अशुद्धि होने पर मजमे आम में हल्का पटवारी द्वारा तैयार सजरा / वंशावली
5. प्रार्थी द्वारा वंशावली के संबंध में शपथ पत्र।

कुल संलग्नक संख्या:- .....

राजेश चावला  
हस्ताक्षर आवेदक

हल्का पटवारी व भू.अ.नि. की टिप्पणी मय स्पष्ट अनुशंशा (सपोर्टेड दस्तावेजों की जांच उपरान्त):-  
महोदय जी पाली का नया राजस्व रेकॉर्ड ग्राम रोडपुर की रकबा 68 में  
राजपुर हावरमाम एवं पति रवटीउ के पदधान दस्तावेज  
शाधाका, जनशाधाका, राजाडी में राजेश चावला एवं  
भू.अ.निरीक्षक डा. राज के स्याक पर राजेश चावला हस्ताक्षर पटवारी नावा  
तहसीलदार की टिप्पणी :- चावला एवं उरने हेतु रिपोर्ट लीगननी की सेवा में प्रेषित है

24.1.2024  
हस्ताक्षर तहसीलदार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नावा जिला डी.डी.नावा  
कमांक/राजस्व/धारा 136/2024/311 आदेश दिनांक:- 24/1/24

प्रार्थी राजेश चावला निवासी नावा के आवेदन तथा हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार नावा की रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में हुई अशुद्धि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के सारणी के बिन्दु सं. 3 में अंकित प्रविष्टि अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार नावा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

24/1/24  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
नावा

कमांक/राजस्व/धारा 136/2024/311  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

दिनांक:- 24/1/24

1. तहसीलदार नावा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
2. हल्का पटवारी नावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. प्रार्थी / आवेदक राजेश चावला को सूचनार्थ।

नावा  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
नावा